D (Printed Pages 7)

(20221) Roll No. _____

B.A.LL.B.-V Sem.

O-3443

B.A.LL.B. Examination, Dec.-2020

CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA-I

(BL-503)

(Old)

Time : Three Hours] *[Maximum Marks : 100*

Note : Attempt questions from **all** Sections as per instructions.

नोट : **सभी** खण्डों से निर्देशानुसार प्रश्न हल कीजिए।

Section-A/खण्ड-अ

(Very Short Answer Questions)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Answer all the **five** question. Each question carries **4** marks. Very short answer is required. 4×5=20

नोट : सभी **पाँच** प्रश्नों का उत्तर दीजियें। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। अति लघु उत्तर अपेक्षित है।

P.T.O.

1. Describe the 'Fundamental Duties' as contained in the Constitution.

   संविधान में प्रदत्त 'मौलिक कर्त्तव्यों' का उल्लेख करें।

2. Write down the later inserted words in the preamble of the Indian constitution under 42nd Amendment Act. What were the effects?

   42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में बाद में जोड़े गये शब्दों को लिखे। इसका क्या प्रभाव पड़ा?

3. What is the need of Constitutional law?

   संवैधानिक विधि की क्या आवश्यकता है?

4. How many freedoms have been provided under Art.19(1) of the Constitution?

   भारतीय संविधान के अनु. 19(1) के द्वारा कितने प्रकार की स्वतंत्रतायें दी गई है?

5. Write down the ground of restrictions imposed on Fundamental Right to the religious freedom U/Art 25 of the Constitution.

भारतीय संविधान के अनु. 25 में निहित धार्मिक अधिकारों पर लागू विभिन्न प्रतिबन्धों का वर्णन करें।

Section-B/खण्ड-ब

(Short Answer Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Answer any **two** questions out of the following three questions. Each question carries **10** marks. Short answer is required. 10×2=20

नोट : निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 10 अंको का है। लघु उत्तर अपेक्षित है।

6. Explain the concept of 'Right to personal liberty'. Also discuss the guidelines prescribed by the Supreme Court of India.

दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अर्थ को स्पष्ट कीजिये तथा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्ग-दर्शीय सिद्धान्तों का भी उल्लेख करें।

7. Describe the safe-guards against the arbitrary arrest and detention as provided under the Indian Constitution.

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 'स्वेच्छाचारी बन्दीकरण एवं निरूद्ध' के विरूद्ध संवैधानिक संरक्षण की व्याख्या कीजिये।

8. Write a detailed note on the 'Economic Justice' in the light of the Indian Constitution.

भारतीय संविधान के संदर्भ में 'आर्थिक न्याय' का पूर्ण उल्लेख कीजिये।

Section-C/खण्ड-स

(Detailed Answer Questions)

(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

Note : Answer any **three** questions out of the following six. Each question carries **20** marks. Detailed answer is required. 20×3=60

नोट : निम्नलिखित छः प्रश्नों में से किन्हीं **तीन** प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न **20** अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

9. Discuss in detail the salient features of the Constitution of India.
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें।

10. Explain with the help of the decided cases of concept of 'Freedom of speech and expression', with restrictions on it, under the Indian Constitution.
निर्णीत वादों की सहायता से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इसके ऊपर लागू प्रतिबन्धो सहित उल्लेख करें जो भारतीय संविधान में निहित हैं।

11. Discuss the concept of 'Secularism'. Does the Indian Constitution provides for the establishment of a secular State? What is the attitude of the Indian judiciary in this regard?

'पन्त निरपेक्षिता' की अवधारणा को परिभाषित करें। क्या भारतीय संविधान पन्त निरपेक्षित राज्य की स्थापना का उपबन्ध करती है? भारतीय न्यायपालिका का इस संदर्भ में क्या रूख है? उल्लेख करें।

12. Describe the concept of 'Uniform Civil Code'. Describe the merits and problems in its implimentation.
'समान दीवानी संहिता' का वर्णन करें। इसकी उपयोगिता व इसको लागू करने में उत्पन्न परेशानियों का उल्लेख करें।

13. Art. 13 makes the judiciary, especially the Supreme Court as a guardian, protector and interpreter of the Fundamental rights. How far do you agree? Discuss.
अनु.13 न्यायपालिका को और विशेषकर उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक, संरक्षी और निर्वाचक बनाता है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? उल्लेख कीजिये।

14. "Equality is a dynamic Concept with many dimensions and aspects and it cannot be imprisioned with in traditional limits". Discuss with the help of judicial pronouncements in this regard.

"समानता बहुत से पक्षों एवं प्रसारों की एक गतिशील अवधारणा है और इसे पारम्परिक सीमाओं में नहीं बाधा जा सकता है"। इस अवधारणा का न्यायिक निर्णयों के सापेक्ष विवेचना कीजिये।